

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

य सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

..... दिनेश कुमार को बनाम शांति देवी

मा ज. पत्र टी. अर्दि मुकदमा नं. F7-70/2018 सन् 2018

म	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
03/19	<p>वकील उषागण श्री अमावता बिजाणियां ने हाजिर अदालत हाँका ज. पत्र टी. अर्दि. पेश किया। उषागण पत्र दर्ज रजिस्ट्रार किया जहाँ ल्यागन पर बहल वकील उषागण एक पक्षिय लुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध टाजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। बहल वकील उषागण पर स्मॉट मनन किया गया जिससे उभय पक्षकारान को अन्तरिम टी. अर्दि. से पाबन्द किया जाना न्याय संगत उचित होता है।</p> <p>अतः उभय पक्षकारान को आगामी तारीख पेशी तक जीमें उत्सर्ग निषेधाज्ञा पक्ष्य किया जाता है कि आप वादग्रस्त आसजी ख. नं. 24 एका 0.81 है, तब ग्राम किशन पूरा प. ह. लावता का बेचान/हस्तांतरण आदि नहीं करें। टाजस्व रेकार्ड की यथा-स्थिति बनाये रखें। उभय पक्षकारान को अतः आदेश उल्लेखित का उषागण की तलबी रजिस्ट्रार ए. डी. मय लिफाफे पेश होने पर तलबी जीमें रजिस्ट्रार ए. डी. को प्रान्त पत्रावली 24/10/18 को पेश हो। उषागण 03 R.03 CPC की पालना करें।</p>	

न्यायालय लक्ष्मण कलक्टर (फास्ट ट्रैक खण्ड)

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

दिनांक ०५/०१/१९ को पेश हो

२५/१०

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप.
 अनुपस्थित/ पीठार. अधिकारी
 दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। ✓
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
 दिनांक-०५/०१/१९ को पेश हो

०५/०१

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप.
 अनुपस्थित/ पीठार. अधिकारी
 दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। ✓
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
 दिनांक-०५/०२/१९ को पेश हो

०६/०१

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप.
 अनुपस्थित/ पीठार. अधिकारी
 दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। ✓
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
 दिनांक-०६/०२/१९ को पेश हो

उत्तराधी सं. की ओर से जमानत
 टी. आर्. पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

०६/०२

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप.
 अनुपस्थित/ पीठार. अधिकारी
 दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। ✓
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
 दिनांक-१२/०२/१९ को पेश हो

२८/०३

वकील जमानत दवाप जमानत पत्र वाकत
 टी. आर्. विद्वा पेश करने पर पत्रावली
 एकजाही पेशा से तलब की जाकर आज
 पेश हुई। जमानत पत्र टी. आर्. से संबंधित
 मूल कादपत्र विद्वा किया जा चुका है।
 अतः ज. पत्र टी. आर्. में जौगे कोरि
 कार्यवाही उक्ताए इसी स्तर पर अचर किया
 जाता है। पत्रावली फैसल श्रावण होकर नम्बर
 से कम हो तथा काद तलमील शामिल कर
 हो। निर्णय छुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रैक) खण्डला